



न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी - रमेश सीरवी पुनाडियों आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:-50 / 2022

GCMS No. -2022/65

1. सुरपालसिंह पुत्र भेरूसिंहजी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी धनवा तह निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

.....प्रतिवादी

उपस्थित:- 1- श्री जगदीश मेनारिया - अधिवक्ता वादी
2- पैरोकार सरकार स्वयं- प्रतिवादी

वाद

वाद अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक:-21.09.2023

::निर्णय::

1. पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात वाके वादी के खातेदारी, स्वामित्व अधिपत्य एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा धीनवा पटवार हल्का जावदा तह निम्बाहेड़ा की खमौजा धीनवा की खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 559 रकबा 1.2300 हेक्टेयर, खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 543 रकबा 1.4800 हेक्टेयर, खाता नम्बर 271 की आराजी नम्बर 540 रकबा 0.0100 हेक्टेयर नलकुप आराजी नम्बर 541 रकबा 1.4600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.0500 हेक्टेयर दुमन, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.0900 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 548 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 566 रकबा 1.2600 हेक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 4.02 कुल रकबा 72 भूमि, खाता नम्बर 272 की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 550 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 560 रकबा 0.5700 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं।
2. वादग्रस्त आराजी सुरपालसिंह है किन्तु राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सुर्यपालसिंह अंकित कर दिया गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, अन्य दस्तावेज में वादी का सही नाम सुरपालसिंह अंकित हैं, इसलिए वादी अपने जमाबंदी रेकार्ड में अपना सही नाम सुरपालसिंह अंकित करवा जमाबंदी एवं राजस्व रेकार्ड में सुरपालसिंह दर्ज करने का अधिकारी हैं। तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी में वादी का नाम दुरुस्त करने की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी हैं।



[Handwritten Signature]

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील वादी/प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर. 1 परोकार सरकार स्वयं उपस्थित। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया ने की। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वादीगण के संलग्न दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशनकार्ड में वादी का नाम सुरपाल सिंह अंकित है। ग्राम पंचायत जावदा सरपंच की तस्दीक अनुसार वादी का नाम सुरपाल सिंह करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में बताया कि मौजा जावदा आराजी नम्बर 559 रकबा 1.2300 हेक्टेयर, खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 543 रकबा 1.4800 हेक्टेयर, खाता नम्बर 271 की आराजी नम्बर 540 रकबा 0.0100 हेक्टेयर नलकुप आराजी नम्बर 541 रकबा 1.4600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 0.542 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.0500 हेक्टेयर दुमन, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.0900 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 548 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 566 रकबा 1.2600 हेक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 4.02 कुल रकबा 72 स्थित हैं। इसी प्रकार वाके मौजा धीनवा पटवार हल्का जावदा नम्बर निम्बाहेड़ा की खाता नम्बर 272 की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 550 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 560 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, भूमि में वादी का नाम सुर्यपालसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत रेकार्ड अनुसार हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी के आधारकार्ड एवं ग्राम पंचायत जावदा सरपंच की तस्दीक अनुसार एवं मौके पर उपस्थित मौतविरानों के द्वारा बताये अनुसार सही नाम सुरपालसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत करना उचित है।

4. हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत जावदा के मजमेआम में दिनांक 09.06.2023 पटवारी हल्का जावदा ने संयुक्त पर्चा मौका बनाया जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा धीनवा की खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 559 रकबा 1.2300 हेक्टेयर, खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 543 रकबा 1.4800 हेक्टेयर, खाता नम्बर 271 की आराजी नम्बर 540 रकबा 0.0100 हेक्टेयर नलकुप आराजी नम्बर 541 रकबा 1.4600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.0500 हेक्टेयर दुमन, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.0900 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 548 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 566 रकबा 1.2600 हेक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 4.02 कुल रकबा 72 भूमि, खाता नम्बर 272 की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 550 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 560 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, भूमि में वादी का नाम सुर्यपालसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत रेकार्ड अनुसार हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। पर्चे मौके पर पटवारी हल्का जावदा एवं अन्य ग्रामवासियान के हस्ताक्षर किये गये हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत, जावदा ने दिनांक 12.12.2023 को एक प्रमाण-पत्र जारी किया है जिसमें अंकित किया गया कि "प्रमाणित किया जाता है कि सुरपाल सिंह पिता भैरूसिंह ग्राम पंचायत जावदा के धीनवा का निवासी है। गलती से जमाबन्दी में सुरपाल के स्थान पर सुर्यपाल सिंह नाम अंकित हो गया है। सुर्यपाल के स्थान पर सुरपाल सिंह नाम अंकित किया जाने में पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र आशा सरपंच ग्राम पंचायत जावदा के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात्, पटवारी हल्का जावदा के संयुक्त पर्चे मौके, सरपंच ग्राम पंचायत जावदा द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र के बाद अवलोकन पाया गया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का नाम सुर्यपालसिंह पिता भैरूसिंह के बजाय सुरपाल सिंह पिता भैरूसिंह घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा की खातेदारी आराजी नम्बर मौजा धीनवा की खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 559 रकबा 1.2300 हेक्टेयर, खाता नम्बर 207 की आराजी नम्बर 543 रकबा 1.4800 हेक्टेयर, खाता नम्बर 271 की आराजी नम्बर 540 रकबा 0.0100 हेक्टेयर नलकुप आराजी नम्बर 541 रकबा 1.4600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 544 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.0500 हेक्टेयर दुमन, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.0900 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नम्बर 548 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.3200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 566 रकबा 1.2600 हेक्टेयर, कुल कित्ता 9 कुल रकबा 4.02 कुल रकबा 72 भूमि, खाता नम्बर 272 की आराजी नम्बर 546 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 550 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 560 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, भूमि में वादी का नाम सूर्यपालसिंह पिता भेरूसिंह के बजाय सुरपालसिंह पिता भेरूसिंह दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



My 21/9/23
(रमेश सीरवी पुनाडियो)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा